क्रम-संख्या—291

रजिस्टर्ड नं० ए० डी०-4

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग 1—खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, मंगलवार, 23 नवम्बर, 1976
अग्रहायण 2, 1898 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार
विधायिका अनुभाग—1

संख्या 4979/सत्रह-वि-1—176-76
लखनऊ, 23 नवम्बर, 1976

अधिसूचना

विविध

'भारत का संविधान' के अनच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मंडल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियों का) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1976 पर दिनांक 20 नवम्बर, 1976 ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 49, 1976 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों का) (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1976

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 49, 1976]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ।)

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों का) अधिनियम, 1952 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्ताईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों का) (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1976 कहा जायगा।

(2) यह ऐसे दिनांक से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार इस निमित्त अधिसूचना द्वारा नियुक्त करे।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12, 1952 के दीर्घ शीर्षक का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों का) अधिनियम, 1952 के (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) शीर्षक में शब्द "वेतन और भत्तों" के स्थान पर शब्द "वेतन, भत्तों और पेंशन" रख दिये जायेंगे।

धारा 1 का संशोधन

3--मूल अधिनियम की धारा 1 में, उपधारा (1) में शब्द 'उपलब्धियों' के पश्चात् शब्द "और पेंशन" बढ़ा दिये जायेंगे ।

धारा 2 का संशोधन

4--मूल अधिनियम की धारा 2 में, उपधारा (3) निकाल दी जायगी ।

धारा 2-ग का संशोधन

5--मूल अधिनियम की धारा 2-ग में, शब्द "तीन सौ पचास रुपये प्रतिमास" के स्थान पर शब्द "पांच सौ रुपये प्रतिमास" रख दिये जायेंगे ।

धारा 3 का संशोधन

6--मूल अधिनियम की धारा 3 में, उपधारा (1) में शब्द "प्रतिमास तीन सौ रुपया" के स्थान पर शब्द "प्रतिमास पांच सौ रुपये" रख दिये जायेंगे ।

नयी धारा 3-क का बढ़ाया जाना

7--मूल अधिनियम की धारा 3 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :--

"3-क--(1) उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों का) (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1976 के प्रारम्भ के दिनांक से प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने :--

(क) उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के सदस्य के रूप में, या;

(ख) उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य के रूप में, या

(ग) आंशिक रूप से उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के सदस्य के रूप में और आंशिक रूप से उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य के रूप में,

पांच वर्ष की अविच्छिन्न या विच्छिन्न अवधि पर्यन्त कार्य किया है, तीन सौ रुपये प्रतिमास पेंशन दी जाएगी :

प्रतिबन्ध यह है कि जहां किसी व्यक्ति ने उपर्युक्त रूप में पांच वर्ष से अधिक की अवधि में कार्य किया है, वहां उसे पांच के उपरान्त के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए पचास रुपये प्रतिमास की अतिरिक्त पेंशन दी जायगी, किन्तु किसी भी मामले में ऐसे व्यक्ति को इस प्रकार देय पेंशन पांच सौ रुपये प्रति माह से अधिक न होगी :

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि यदि कोई व्यक्ति संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 के अधीन किसी पेंशन पाने का हकदार है तो--

(1) यदि उक्त अधिनियम के अधीन अनुमन्य पेंशन पांच सौ रुपये प्रतिमास या उससे अधिक हो तो वह इस धारा के अधीन कोई पेंशन पाने का हकदार न होगा;

(2) यदि उक्त अधिनियम के अधीन अनुमन्य पेंशन पांच सौ रुपये प्रतिमास से कम हो तो वह इस धारा के अधीन उतनी ही धनराशि की पेंशन पाने का हकदार होगा जिससे उक्त अधिनियम में अनुमन्य पेंशन की राशि पांच सौ रुपये से कम पड़ती हो ।

स्पष्टीकरण--इस धारा के प्रयोजनों के लिए उत्तर प्रदेश विधान परिषद् या उत्तर प्रदेश विधान सभा में क्रमशः यूनाइटेड प्राविन्सेज लेजिस्लेटिव काउन्सिल या यूनाइटेड प्राविन्सेज लेजिस्लेटिव असेम्बली भी सम्मिलित होगी, जिसने 15 अगस्त, 1947 और संविधान के प्रारम्भ के बीच और तत्पश्चात् राज्य के लिए अस्थायी विधान मण्डल के सदन के रूप में कार्य किया ।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन पेंशन के लिए हकदार कोई व्यक्ति--

(क) राष्ट्रपति या उप राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो जाता है या किसी राज्य के राज्यपाल या किसी संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक के पद पर नियुक्त हो जाता है; या

(ख) संसद के किसी सदन का या उत्तर प्रदेश विधान परिषद् या उत्तर प्रदेश विधान सभा का सदस्य हो जाता है; या

(ग) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार, या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में किसी निगम, या किसी स्थानीय प्राधिकारी, के अधीन वेतन पर सेवायोजित किया जाता है, या ऐसी सरकार, निगम या स्थानीय प्राधिकारी से किसी पारिश्रमिक का अन्यथा हकदार हो जाता है,

वहां ऐसा व्यक्ति उस अवधि में जिसमें वह ऐसे पद पर आसीन रहता है, या ऐसा सदस्य है, या इस प्रकार सेवायोजित है, या ऐसे पारिश्रमिक का हकदार बना रहता है, उपधारा (1) के अधीन किसी पेंशन का हकदार न होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि जहां ऐसे पद पर आसीन रहने या ऐसा सदस्य होने या इस प्रकार सेवायोजित होने के लिए ऐसे व्यक्ति को देय वेतन या पारिश्रमिक या जहां ऐसे व्यक्ति को देय खण्ड (ग) में निर्दिष्ट पारिश्रमिक दोनों में से किसी स्थिति में उसको उपधारा (1) के अधीन देय पेंशन से कम है, वहां ऐसा व्यक्ति उस उपधारा के अधीन पेंशन के रूप में उतनी ही धनराशि पाने का हकदार होगा जितनी धनराशि पेंशन की उस धनराशि से कम पड़ती है, जिसके लिये वह उस उपधारा के अधीन अन्यथा हकदार है ।

(3) जहां उपधारा (1) के अधीन पेंशन के लिए हकदार कोई व्यक्ति केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में किसी निगम, या किसी विधि के अधीन या अन्य प्रकार से किसी स्थानीय प्राधिकारी, से किसी पेंशन का भी हकदार है (जो संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 के अधीन पेंशन न हो व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की हैसियत से दी गई पेंशन न हो व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की हैसियत से दी गई पेंशन न हो) तो —

(क) जहां पेंशन की धनराशि, जिसके लिए वह किसी विधि के अधीन या अन्य प्रकार से हकदार है, उस धनराशि के बराबर या उससे अधिक हो जिसके लिए वह उपधारा (1) के अधीन हकदार है, वहां ऐसा व्यक्ति उस उपधारा के अधीन किसी पेंशन का हकदार न होगा; और

(ख) जहां पेंशन की वह धनराशि जिसके लिए वह ऐसी विधि के अधीन या अन्य प्रकार से हकदार है, उस धनराशि से कम है जिसके लिए वह उपधारा (1) के अधीन हकदार है, वहां ऐसा व्यक्ति उस उपधारा के अधीन पेंशन की उतनी ही धनराशि का हकदार होगा जितनी धनराशि पेंशन की उस धनराशि से कम पड़ती है जिसके लिए वह उस उपधारा के अधीन अन्यथा हकदार है।

(4) उपधारा (1) के प्रयोजनार्थ, वर्ष की संख्या की संगणना करने में उस अवधि की भी गणना की जायगी जिसमें किसी व्यक्ति ने उत्तर प्रदेश विधान सभा या उत्तर प्रदेश विधान परिषद् में अपनी सदस्यता के कारण मंत्री, अध्यक्ष, सभापति, उप मंत्री, उपाध्यक्ष, उप सभापति या सभा सचिव के रूप में कार्य किया है।"

धारा 5 का संशोधन

8—मूल अधिनियम की धारा 5 में, उपधारा (2) में, खण्ड (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात् —

"(च) प्रपत्र जिसमें इस अधिनियम के अधीन पेंशन की मांग करने के प्रयोजनार्थ किसी व्यक्ति द्वारा प्रमाण-पत्र यदि कोई हो, प्रस्तुत किया जायगा,

(छ) इस अधिनियम के अधीन पेंशन का भुगतान करने की रीति।"

No. 4979 (2) /XVII-V-1—176-76

Dated Lucknow, November 23, 1976

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Vidhan Mandal (Sadasyon Ki Upalabdhiyon Ka)' (Dwitiya Sanshodhan)' Adhiniyam, 1976 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 49 of 1976) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on November 20, 1976:

THE UTTAR PRADESH LEGISLATIVE CHAMBERS (MEMBERS' EMOLUMENTS) SECOND AMENDMENT) ACT, 1976

[U. P. Act no. 49 1976]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN
ACT

further to amend the Uttar Pradesh Legislative Chambers (Members' Emoluments) Act, 1952

It is hereby enacted in the Twenty-seventh Year of Republic of India as follows:

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Legislative Chambers (Members' Emoluments) (Second Amendment) Act, 1976.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may by notification appoint in this behalf.

Amendment of long title of U. P. Act no. 12, of 1952.

2. In the Uttar Pradesh Legislative Chambers (Members' Emoluments) Act, 1952 (hereinafter referred to as the principal Act), in the long title *for* the words "salaries and allowances" the words "salary, allowances and pension" shall be *substituted.*

Amendment of section 1.

3. In section 1 of the principal Act, in sub-section (1), *after* the word "Emoluments", the words "and Pension" shall be *inserted.*

Amendment of section 2.

4. In section 2 of the principal Act, sub-section (3) shall be *omitted.*

Amendment of section 2-C.

5. In section 2-C of the principal Act, *for* the words "rupees three hundred and fifty per mensem", the words "five hundred rupees per mensem" shall be *substituted.*

Amendment of section 3.

6. In section 3 of the principal Act, in sub-section (1), *for* the words "rupees three hundred per mensem", the words "five hundred rupees per mensem" shall be *substituted.*

Insertion of new section 3-A.

7. *After* section 3 of the principal Act, the following section shall be *inserted,* namely :—

"3-A. (1) With effect from the commencement of the Uttar Pradesh Legislative Chambers (Members' Emoluments) (Second Amendment) Act, 1976, there shall be paid a pension of three hundred rupees per mensem to every person who has served for a period of five years whether continuous or not,—

Pension.

(*a*) as a member of the Uttar Pradesh Legislative Council ; or

(*b*) as a member of the Uttar Pradesh Legislative Assembly ; or

(*c*) partly as a member of the Uttar Pradesh Legislative Council and partly as a member of the Uttar Pradesh Legislative Assembly :

Provided that where any person has served as aforesaid for a period exceeding five years, there shall be paid to him an additional pension of fifty rupees per mensem for every completed year in excess of five, so, however, that in no case the pension payable to such person shall exceed five hundred rupees per mensem :

Provided further that where any person is entitled to a pension under the Salaries, Allowances and Pension of Members of Parliament Act, 1954,—

(i) where the amount of pension admissible under the said Act is Rs.500 per mensem or more he shall not be entitled to any pension under this section ;

(ii) where the amount of pension admissible to him under the said Act is less than Rs.500 per mensem then he shall be entitled to a pension under this section only to the extent of the amount by which the pension admissible under that Act falls short of Rs.500 per mensem.

Explanation—For the purposes of this section, the Uttar Pradesh Legislative Council or the Uttar Pradesh Legislative Assembly shall include the United Provinces Legislative Council or the United Provinces Legislative Assembly, respectively, which functioned between August 15, 1947 and the commencement of the Constitution and thereafter as a House of the provisional Legislature for the State.

(2) Where any person entitled to pension under sub-section (1),—

(*a*) is elected to the office of the President or Vice-President or is appointed to the office of the Governor of any State or the Administrator of any Union Territory ; or

(*b*) becomes a member of either House of Parliament, or the Uttar Pradesh Legislative Council or the Uttar Pradesh Legislative Assembly ; or

(*c*) is employed on a salary under the Central Government or any State Government, or any Corporation owned or controlled by the Central Government or any State Government or any local authority or becomes otherwise entitled to any remuneration from such Government, Corporation or local authority,

such person shall not be entitled to any pension under sub-section (1) for the period during which he continues to hold such office or is such member, or is so employed, or continues to be entitled to such remuneration :

Provided that where the salary or remuneration payable to such person for holding such office or being such member or so employed, or where remuneration referred in clause (*c*) payable to such person, is, in either case, less than the pension payable to him under sub-section (1), such person shall be entitled to receive as pension under that sub-section only an amount which falls short of the amount of pension to which he is otherwise entitled under that sub-section.

(3) Where any person entitled to pension under sub-section (1) is also entitled to any pension from the Central Government (not being a pension under the Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament Act, 1954 or a pension given in his capacity as freedom fighter) or any State Government, or any Corporation owned or controlled by the Central Government, or any State Government or any local authority, under any law or otherwise, then—

(*a*) where the amount of pension to which he is entitled under such law or otherwise, is equal to or in excess of that to which he is enitled under sub-section (1), such person shall not be entitled to any pension under that sub-section ; and

(*b*) where the amount of pension to which he is entitled under such law or otherwise, is less than that to which he is entitled under sub-section (1), such person shall be entitled to pension under that sub-section only of an amount which falls short of the amount of pension to which he is otherwise entitled under that sub-section.

(4) In computing the number of years, for the purposes of sub-section (1), the period during which a person has served as a Minister, Speaker, Chairman, Deputy Minister, Deputy Speaker, Deputy Chairman or Parliamentary Secretary, by virtue of his membership in the Uttar Pradesh Legislative Assembly or the Uttar Pradesh Legislative Council, shall also be taken into account."

Amendment of section 5.

8. In section 5 of the principal Act, in sub-section (2), *after* clause (*e*), the following clauses shall be *inserted,* namely :—

"(*f*) the form in which certificates, if any, shall be furnished by any person for the purposes of claiming any pension under this Act;

(*g*) the manner of payment of pension under this Act."

आज्ञा से,
कैलाश नाथ गोयल,
सचिव ।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 377 सा० (विधायिका)—1976—950 (मे०) ।